झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची–834001

विज्ञापन

ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि–07.06.2017

विज्ञापन संख्या–12/2017

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–447 दिनांक–06.03.2017 द्वारा अधियाचित एवं संसूचित रिक्तियों के अनुरूप "**जिला क्रीड़ा पदाधिकारी** के कुल 24 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हत्ताधारियों से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. **पद का नाम** :– जिला क्रीड़ा पदाधिकारी (District Sports Officer)
2. **रिक्तियों की विवरणी** :–

		A. Vertical Reservation	B. Horizontal Reservation against total vacancy				
SL. No.	Category	Total Vacancies	Women Reserved Seats	Sports	Handicapped reserved		
					Low Vision (Blind)	Low Hearing (Deaf & Dumb)	Locomotor Disability (Except Cerebral Palsy)
1	2	3	4	5	6	7	8
a	Unreserved	12	01	-	-	-	-
b	SC	03					
c	ST	06					
d	BC-I	02					
e	BC-II	01					
Total of (i) to (v)		24					

नोट :– रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–5776, दिनांक–10.10.2002 के आलोक में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के रूप में 01 (एक) पद कर्णांकित है।

3. **वेतनमान** :– PB-II 9300-34800 कोटि वेतन - 4800
4. **परीक्ष्यमान अवधि** :– 02 (दो) वर्ष
5. **पद** :– स्थायी
6. (क) **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता** :–

   आवेदन करने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नात्तक के साथ राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान से किसी खेल विधा में पूर्णकालिक प्रशिक्षण (डिप्लोमा) अथवा शारीरिक शिक्षा अथवा खेल विज्ञान में स्नातक डिग्री।

(ख) **अतिरिक्त अर्हता** :— भारतीय ओलपिंक संघ से मान्यता प्राप्त किसी खेल में किसी भी आयु/वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/सैफ (SAF) खेलों के साथ–साथ भारतीय ओलपिंक संघ से मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय खेल प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत या समूह में पदक विजेता को अतिरिक्त अंक आवंटित किये जायेंगे।

(ग) **उम्र** :— परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के उम्र की गणना तिथि 01.08.2017 होगी। इनकी न्यूनतम आयु विभागीय अधिसूचना संख्या–119 सह–पठित ज्ञापांक–2137, दिनांक–23.12.2016 के अनुसार 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक–609 दिनांक–25.01.2016 के अनुसार निम्नवत् होनी चाहिए :–

क्र0	**श्रेणी**	**उम्र**	**दिव्यांग जनों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए**
1	अनारक्षित	35 वर्ष	40 वर्ष
2	अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	42 वर्ष
3	महिला (अनारक्षित/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	43 वर्ष
4	अनु0 जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष	45 वर्ष

(क) भूतपूर्व सैनिकों (Ex-servicemen) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्षों की छूट अनुमान्य है। ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ख) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक–360, दिनांक–21.01.2003 के आलोक, राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने लगातार तीन वर्षों की सरकारी सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट अनुमान्य है। ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. आरक्षण का लाभ :–

(क) ऑनलाइन (Online) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवारों को चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ग) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को झारखण्ड राज्य के सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। **झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।**

(घ) झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–I एवं पिछड़ा वर्ग-II** के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** द्वारा विहित प्रपत्र–I अथवा प्रपत्र–II में निर्गत प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि का विवरण Online आवेदन पत्र में प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(ङ) आरक्षण हेतु विहित प्रपत्र–I अथवा प्रपत्र-II में निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अन्तर्वीक्षा के समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे।

(च) साक्षात्कार के समय आवेदन में दिए गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाणपत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :–

(क) योग्यता मानदण्ड का कुल अंक 460 होगा जिसमें से 400 अंक लिखित परीक्षा होगी, खेल उपब्धियों के लिए 30 अंक एवं मौखिक परीक्षा के लिए 30 अंक होंगे।

(ख) लिखित परीक्षा (विषयनिष्ठ), खेल उपब्धियों एवं मौखिक परीक्षा के प्राप्तांक को जोड़कर मेधा सूची तैयार की जायेगी तथा संसूचित कोटिवार रिक्तियों के अनुरुप प्रशासी विभाग को नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के नाम अनुशंसित किये जायेंगे।

9. परीक्षा का स्वरूप :–

(क) **लिखित परीक्षा** :– लिखित (विषयनिष्ठ) परीक्षा के दो पत्र होंगे जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0सं0	विषय	पूर्णांक	परीक्षा का समय
1.	पेपर–1	200	03 घंटे
2.	पेपर–2	200	03 घंटे

(ख) लिखित परीक्षा (विषयनिष्ठ) का पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ग) **साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा** :– साक्षात्कार के लिए कुल 30 अंक निर्धारित है।

(घ) आयोग नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया आयोग के Rules of Procedure 2002 के अधीन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. परीक्षा शुल्क :–

(i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(ii) सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क रू0 **600 (छह सौ) + बैंक चार्ज** मात्र तथा झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को रू0 **150/– (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र देय होगा। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्धारित विहित प्रपत्र–I में निर्गत जाति प्रमाण पत्र का विवरण **ऑनलाइन** (Online) आवेदन पत्र में प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।

(iii) **झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।** बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द समझे जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

(iv) विकलांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।

(v) परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा जिसकी विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है। जिसे आवेदन जमा करने के पूर्व अवश्य देख कर ही आवेदन करें।

11. आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया एवं अन्य अनुदेश :–

(क) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(ख) ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली–भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरे। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्त्तन का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।

(ग) **ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व आवेदन कैसे करें, "How to apply" अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. – 0651/2213009 पर आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह–10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।**

(घ) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे।

(ड.) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बांए अंगूठे का निशान स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। **निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बांए अंगूठे का निशान नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।**

(च) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही प्रविष्ट करेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है।

(छ) जन्म तिथि– आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट करेंगे।

(ज) **Online आवेदन भरते समय आवेदक की शैक्षणिक योग्यता, अतिरिक्त अर्हता आदि से संबंधित विवरणीः–**

उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट, स्नातक, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान से किसी खेल विधा में पूर्णकालिक प्रशिक्षण (डिप्लोमा) अथवा शारीरिक शिक्षा अथवा खेल विज्ञान में स्नातक डिग्री, मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो), सरकारी सेवा में होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/सैफ/राज्य स्तरीय खेल प्रतिस्पर्धा में पदक से संबंधित आवश्यक जानकारी ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे एवं **सभी संदर्भित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति को स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। अन्तर्वीक्षा के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।**

(झ) ऑनलाइन आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(ञ) अभ्यर्थी का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।

(ट) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(ठ) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा

(B) **कदाचार** (Misconduct) के निम्न मामलों में अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती हैः–

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false and suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
(b) Impersonating, or
(c) Procuring impersonation by any person, or
(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, or
(e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
(g) Using unfair means during the test, or

(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch in the script (s), or

(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or

(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.

(l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:

   (i) To be disqualified from selection for which he/she is a candidate, and/or

   (ii) To be debarred either permanently or for a specified period:-

   (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(C) कदाचार के लिए कार्यवाही :–

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी, जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(D) पूर्व के कदाचार का प्रभावः–

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12. अंतिम तिथि :–

(क) आवेदक Online Application System के माध्यम से **दिनांक– 17.05.2017 से 07.06.2017 अपराह्न 05:00 बजे** तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।

(ख) दिनांक–**07.06.2017** के बाद दिनांक–**09.06.2017** तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ग) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।